आतंक अस्पताल प्रबंधन का दावा, दवाईयों का समय-समय पर किया जाता है छिड़काव, कुछ दिन पहले नर्स व वार्डबॉय को भी किया था घायल

मेडिकल अस्पताल में चूहों का आतंक, 3 मरीजों को काटकर किया घायल

इंदौर के एमवाय अस्पताल में चूहों के काटने से 2 बच्चों की हो चुकीं हैं मौतें

नवभारत,जबलपुर। इंदौर के एमवाय अस्पताल में हाल ही में चूहों के काटने से हुई दो मासूम बच्चों की मौत के बाद अब जबलपुर के नेताजी सुभाषचंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मानसिक रोग विभाग में 3 मरीजों को चूहे द्वारा काटने की घटना सामने आई है। जिसको लेकर अब अस्पताल प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। ये इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से मरीजों व परिजनों द्वारा मेडिकल अस्पताल प्रबंधन को शिकायत कर बताया जा रहा था कि मानसिक रोगी विभाग में चूहों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, बावजूद इसके चूहों के आतंक को रोकने के लिए कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया।

उधर दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि चूहों को हटाने के लिए मेडिकल परिसर में समय-समय पर दवाईयों का छिड़काव किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि मेडिकल अस्पताल में खाना पीने की सामग्री जो कचरा स्वरूप अस्पताल परिसर में फेंकी जाती है उसी के चक्कर में अस्पताल परिसर में चूहों की संख्या बढ़ी है और ये चूहे अब मरीजों, अस्पताल के कर्मचारियों को ही काटने लगे हैं।

मेडिकल में किया गया इलाज

जानकारी के अनुसार सिहोरा निवासी 25 वर्षीय रजनी , श्रीधाम गोटेगांव के 50 वर्षीय सरोज मेहरा और उनके बेटे जगदीश मेहरा के पैरों पर चूहों ने रात के वक्त हमला किया है जब वे सो रहे थे। सुबह ये तीनों उठे तो उन्हें पता चला। जगदीश मेहरा ने अपनी आपबीती सुनाते हुए नवभारत को बताया कि मैंने अपनी मां सरोज मेहरा को सोमवार को इलाज के लिए भर्ती कराया था। दो दिन बाद ही चूहों ने उन दोनों की एड़ी काट ली। रजनी यादव के परिजनों ने बताया कि चूहों ने उनके दोनों पैरों की एड़ियों को कुतर दिया है। हालांकि तीनों मरीजों को मेडिकल कॉलेज में ही प्राथमिक उपचार दिया गया है। विदित हो कि कुछ दिनों पहले मेडिकल कॉलेज अस्पताल के भीतर एक वार्ड बॉय और महिला नर्स को चूहों ने काट लिया था जिनका प्रारंभिक इलाज मेडिकल में कर दिया गया था।

इनका कहना है

मेडिकल कॉलेज परिसर में चूहों द्वारा मरीजों को काटने की खबर सामने आई है जिन्हें इंजेक्शन लगा दिया गया है। मेडिकल परिसर में चूहों को हटाने के लिए समय-समय पर दवाईयों का छिड़काव भी किया जा रहा है।

-डॉ. अरविंद शर्मा, अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल

ट्रैक्टरों का लंबा काफिला लेकर पहुंचे किसान

मंडी से लेकर घंटाघर तक निकाली रैली, किया प्रदर्शन

जबलपुर। किसानों की समस्याओं और मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में सोमवार को जबलपुर जिला मुख्यालय पर विशाल ट्रैक्टर वाहन रैली निकाली गई। दोपहर 12 बजे कृषि उपज मंडी में जिलेभर के किसान एकत्रित हुए और संक्षिप्त सभा के बाद ट्रैक्टरों का लंबा काफिला दमोह नाका, रानीताल, यातायात चौक, तीन पत्ती चौक, नौदरा ब्रिज से होते हुए घंटाघर पहुंचा। यहां किसानों ने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें बताईं, जिसमें उन्होंने लैंड पुलिंग एक्ट को तत्काल वापस लेने, यूरिया व डीएपी खाद की पर्याप्त व्यवस्था करने, कालाबाजारी पर रोक लगाने, धान, गेहूं, मूंग, उड़द का रुका हुआ भुगतान तुरंत करने, गेहूं 2700 रुपए व धान 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी की जाए, जिले में तीन साल से अधिक समय से पदस्थ कृषि विभाग के अधिकारियों का स्थानांतरण हो तथा भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई करने आदि मांगों को प्रशासन के समक्ष रखकर जल्द निराकरण की मांग की। जिला मंत्री धनंजय पटेल ने कहा कि सरकार को चेतावनी दी गई है कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

दीनदयाल तक लगा लंबा जाम

आंदोलन के चलते जहां किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, वहीं आमजन को यातायात जाम की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ा। रैली के चलते पाटन बायपास से दीनदयाल तक लंबा जाम लग गया। सैकड़ों वाहनों के फंस जाने से यातायात पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। वैकल्पिक मार्ग से वाहनों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन किसानों की बड़ी संख्या और ट्रैक्टरों की कतार से स्थिति देर शाम तक सामान्य नहीं हो सकी।

रिश्वत लेते महिला सहायक को लोकायुक्त ने दबोचा

समिति का रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में मांगे थे पांच हजार

जबलपुर। लोकायुक्त जबलपुर ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर कार्यालय में दबिश देकर पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते महिला सहायक को दबोचा है। रिश्वत की रकम परमलोक धाम आश्रम सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में मांगी गई थी। रिश्वतखोर आरोपिया को लोकायुक्त के खिलाफ लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक शिव प्रसाद कुशवाहा पिता लटोरा कुशवाहा 65 वर्ष निवासी ग्राम कौड़िया तहसील स्लीमनाबाद जिला कटनी ने जबलपुर लोकायुक्त एसपी अंजू लता पटले के शिकायत देते हुए बताया कि परमलोक धाम आश्रम सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर में कार्यरत प्रीति ठाकुर सहायक ग्रेड 2 द्वारा 5000 रुपए रिश्वत की मांग की जा रही थी।

जाल बिछाया, ट्रेप दल ने धर दबोचा

शिकायत सत्यापन के बाद लोकायुक्त ने जाल बिछाकर रिश्वत की रकम के साथ शिवप्रसाद को भेजा। सोमवार को 5000 की रिश्वत जैसे ही आरोपिया प्रीति ठाकुर पति संजय कुमार ठाकुर 45 वर्ष, सहायक ग्रेड -2, कार्यालय असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं जबलपुर संभाग जबलपुर ने ली वैसे ही उसने रिश्वत की रकम ली वैसे ही ट्रेप दल दल प्रभारी उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती नीतू त्रिपाठी, निरीक्षक रेखा प्रजापति, निरीक्षक बी एस नरवरिया ने धरदबोचा गया।

इनका कहना है

परमलोक धाम आश्रम सेवा समिति का रजिस्ट्रेशन करवाने के एवज में पांच हजार रूपए की रिश्वत लेते सहायक ग्रेड 2 प्रीति ठाकुर पति संजय कुमार ठाकुर को रंगे हाथों पकड़ लिया। आरोपीया के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है।

अंजू लता पटले, एसपी, लोकायुक्त जबलपुर

रिमांड खत्म : रिश्वतखोर अधिकारियों समेत बिचौलिया गया जेल

सीबीआई जबलपुर ने सागर से 80 हजार की रिश्वत लेते दबोचा था

जबलपुर। सीबीआई ने सागर, मध्य प्रदेश में सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एमईएस) के तीन अधिकारियों और एक बिचौलिए को 80,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था जिन्हें कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए आरोपियों को 15 सितम्बर तक रिमांड में लिया गया था। सोमवार को रिमांड खत्म होने पर आरोपियों को सीबीआई ने कोर्ट में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है।

जानकारी के मुताबिक पुलिस अधीक्षक, सीबीआई, एसीबी, जबलपुर को 8 अगस्त को अजय कुमार पिता मुन्ना लाल, 39 निवासी मोहल्ला गोपालगंज, मऊरानीपुर झाँसी, उप्र ने शिकायत करते हुए बताया था कि वह नरेन्द्र कुमार गुप्ता निवासी राय कॉलोनी, सिबिल लाईन झाँसी, उप्र की फर्म मेसर्स थी बालाजी एसोसिएट्स में विगत 2 वर्षों से कार्यरत है। उक्त फर्म द्वारा एम ई एम सागर में आंवटित ठेकों में अधिकृत प्रबंधक है। मेसर्स श्री बालाजी एसोसिएट्स को वर्ष 2025-26 में एम. ई एस., सागर में बी एण्ड आर का रिपेयर व मेन्टिनेन्स वर्क का ठेका 26.58 लाख का आवंटित हुआ ।

आवंटन के बाद भी उक्त ठेके में कार्य प्रारम्भ किये जाने के लिए एमईएस, सागर के अधिकारियों के द्वारा कॉन्ट्रेक्ट वर्क की साइट का स्थानंतरण काफी समय होने के बाद भी नहीं किया जा रहा है। कुछ दिन पूर्व एम.ई.एम., सागर के ही एक अन्य ठेकेदार राजेश मिश्रा के द्वारा उसकी फर्म के मालिक नरेन्द्र कुमार गुप्ता को बताया गया कि उसके इम ई.एस. के अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध है। काम के बदले में ठेके की राशि का 2 प्रतिशत देना पड़ता है। शिकायत की जांच की गई जिसमें पाया गया कि आरोपी लोक सेवकों ने ठेकेदार को दिए गए अनुबंध के तहत मरम्मत और रखरखाव कार्य करने के लिए अनुबंध स्थल उपलब्ध कराने के लिए बिचौलिए के माध्यम से अनुबंध मूल्य का 2 प्रतिशत 1,00,000 रुपये रिश्वत की मांग की। बातचीत के बाद, आरोपी शिकायतकर्ता से अनुबंध मूल्य के 1.5 प्रतिशत की दर से 80,000 रुपये की रिश्वत लेने पर सहमत हो गए। सीबीआई ने जाल बिछाया और आरोपियों को शिकायतकर्ता से 80,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया था। आरोपियों के कार्यालय और आवासीय परिसरों की तलाशी ली गई थी जिसमें आपत्तिजनक दस्तावेज, सामग्री बरामद हुई थी।

इन्हें भेजा गया जेल

रिश्वतखोर नितेश कुमार सिंह, जीई, एमईएस, सागर, राकेश साहू, एजीई, एमईएस, सागर और दीपक, जूनियर इंजीनियर जेई, राजेश मिश्रा (बिचौलिया) की रिमांड खत्म होने पर शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश, सीबीआई मामले, जबलपुर की अदालत में पेश किया गया जहां से न्यायालय ने चारों आरोपियों को जेल भेज दिया है।

सुपौल तक बढ़ी पुणे दानापुर एक्सप्रेस

जबलपुर। पमरे के इटारसी, जबलपुर के रास्ते चल रही पाटलिपुत्र-बंगलूरू और पुणे-दानापुर एक्सप्रेस का विस्तार किया गया है। बंगलूरू-पाटलिपुत्र अब सहरसा तक वही पुणे-दानापुर अब सुपौल तक बढ़ा दी गई है। इन ट्रेनों की संशोधित समय सारिणी रेलवे प्रशासन ने जारी कर दी है। इसके अलावा पुणे-दानापुर एक्सप्रेस का नंबर अब 12149 की जगह 11401 कर दिया गया। रात 9.05 बजे चलने के बाद अगले दिन दोपहर 13.35 बजे जबलपुर, शाम 7.45-7.47 बजे ट्रेन प्रयागराज छिवकी, रात 2.15-2.45 बजे दानापुर एवं अगले दिन दोपहर 1.15 बजे सुपौल पहुंच जाएगी। इसी तरह सुपौल से 11402 की रवानगी दोपहर 2.30 बजे होगी जो रात 10.45-11.15 बजे दानापुर, सुबह 4.50-4.55 बजे प्रयागराज छिवकी, 10.20 बजे जबलपुर एवं अगले दिन सुबह 4.00 बजे ही पुणे पहुंचेंगी।

हिरन नदी में दो बहे, एक तैरकर निकला, दूसरा डूबा

रपटा पार करते समय हुआ हादसा

जबलपुर। मझौली थाना अंतर्गत पौनिया ककरेहटा वाले हिरन नदी के रपटे को पार करते समय दो युवक तेज बहाव में बाइक समेत बह गए। एक तैरकर बाहर निकल गया जबकि दूसरा डूब गया। जिसकी तलाश जारी है। देर शाम तक उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। अंधेरा होने से रेस्क्यू बंद कर दिया गया। आज सुबह पुनः युवक की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। पुलिस के मुताबिक सोमवार को लटोरी लाल ठाकुर 55 वर्ष निवासी बगिया टोला इंद्राना ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके 2 बेटे है। उसका बेटा मनीष ठाकुर मोहल्ले के अनिल बर्मन के साथ झिंगरई खेतों में दवाई डालने सुबह लगभग 9 बजे गया था वहां से शाम लगभग 7-30 बजे वापस आ गया था उसके बाद इंद्राना बजार गया था। अनिल बर्मन ने बताया कि मनीष ने अपनी होण्डा मोटर सायकल से अनिल को बैठाकर बोला चलो आगे से आते हैं और दोनों पौनिया ककरेहटा वाले हिरन नदी के रपटे को पार करने लगे पानी के तेज बहाव के कारण मोटर सायकल फिसलने लगी तो दोनों मोटर सायकल से उतर गये मनीष मोटर सायकल पकड़े था अनिल मनीष को पकड़ रहा था, पानी के बहाव के कारण दोनों मोटर सायकल सहित नदी में बह गये, अनिल बर्मन तैर कर किनारे आ गया मनीष ठाकुर 32 वर्ष मोटर सायकल सहित पानी के तेज बहाव में बह गया है। पुलिस मामले की जांच करते हुए युवक की तलाश में जुटी है।

झमाझम बारिश, घुली ठंडक, गर्मी से राहत

जबलपुर। सक्रिय मौसम प्रणालियों के असर से सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया। दोपहर बाद काले बादलों ने डेरा डाल लिया और शाम ढलने के पहले ही बदरा बरस पड़े। झमाझम बारिश हुई जिससे शहर की सड़के तरबरत हो गई। इसके साथ ही गर्मी से राहत मिली। साथ ही ठंडक भी घुल गई। मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मानसून सीजन में बारिश का आंकड़ा 1128 .4 डिग्री पर पहुंच गया है। सोमवार को अधिकतम तापमान 33 .1 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से 2 डिग्री धिक रहा। न्यूनतम तापमान 24 .8 डिग्री पर पहुंच गया जो सामान्य से एक डिग्री अधिक रहा। सुबह के वक्त आद्रता 89 और शाम को 93 प्रतिशत दर्ज की गई।

दक्षिण-पूर्व हवाएं पांच से छह : किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चली। मौसम विभाग की माने तो उत्तरी तेलंगाना और आसपास के क्षेत्रों वाला ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी विदर्भ और आसपास के क्षेत्रों में देखा जा सकता है और यह औसत समुद्र तल से 3 .1 किमी ऊँचाई पर दक्षिण-पश्चिम की ओर विस्तृत है। एक ऊपरी हवा का चक्रवातीय परिसंचरण पूर्वी बिहार और आसपास के क्षेत्रों पर औसत समुद्र तल से 3 .1 और 5 .8 किमी ऊपर स्थित है।

धान खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू

जिले में 32 केंद्र स्थापित,10 अक्टूबर तक चलेगी प्रक्रिया

नवभारत,जबलपुर। जिले में धान उपार्जन के लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिये किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये 32 केंद्र स्थापित किये गये हैं। पंजीयन केंद्रों का निर्धारण जिला उपार्जन समिति की बैठक में किया गया है। किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकेंगे। कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा के अनुसार इन केंद्रों पर किसानों का पंजीयन नि:शुल्क किया जायेगा। पंजीयन रविवार और शासकीय अवकाश को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर किया जाएगा। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 हेतु किसानों के पंजीयन के लिये जिले में निर्धारित किये गये केंद्रों में आधारताल तहसील के अंतर्गत कृषि उपज मंडी स्थित सहकारी विपणन संस्था को, राँझी तहसील में सेवा सहकारी संस्था उमरिया सोनपुर को तथा कुंडम तहसील में वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था बघराजी को पंजीयन केंद्र बनाया गया है। जबलपुर तहसील में स्थापित किये गये पंजीयन केंद्रों में सेवा सहकारी संस्था सिवनी, सेवा सहकारी संस्था मोहास, सेवा सहकारी संस्था सहजपुरी, सेवा सहकारी संस्था सुकरी, सेवा सहकारी संस्था पिंडरई एवं वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था बरगी को शामिल हैं।

तहसील स्तर पर यहां बने हैं केंद्र

जानकारी के अनुसार पनागर तहसील में वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था नगना, सिंगौद, कुशनेर पिपरिया एवं निरंदपुर, पाटन में सरौंद, सहसन, लुहारी, बोरिया, आरछा एवं कुंवरपुर, मझौली में वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था मझौली, सहजपुरा एवं लखनपुर, शहपुरा में वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था शहपुरा, घुन्सौर,सहजपुर, बिजौरी एवं शहपुरा को तथा सिहोरा तहसील में वृहत्ताकार सेवा सहकारी संस्था सिहोरा, मझगवां, वृहत्ताकार फनवानी, मर्या सिहोरा एवं सेवा सहकारी संस्था कछपुरा को पंजीयन केंद्र बनाया गया है।

बताओ क्या रियायतें चाहिये, विमानन कंपनियों से हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने एयर कनेक्टिविटी के मामले में इंटरग्लोब एविएशन (इंडिगो) व अन्य विमान कंपनियों से पूछा है कि फ्लाइट्स की संख्या बढ़ाने के लिए वे केन्द्र व राज्य से क्या रियायतें चाहते हैं। कंपनियों की केन्द्र से क्या अपेक्षाएं है, इस संबंध में वे सुझाव पेश करें। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ ने मामले में कहा है कि कंपनी यह बताएं कि केन्द्र को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए जिससे विमान कंपनियों को कमर्शियल फायदा हो। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को निर्धारित की है। इसके साथ ही न्यायालय ने रजिस्ट्री को यह निर्देश भी दिए कि कंपनी की ओर से सीलबंद लिफाफे में पेश किए गए डाटा को स्केन कर रिकॉर्ड पर लें। दरअसल, कोर्ट ने कहा कि उक्त रिपोर्ट में कुछ भी गोपनीय नहीं है।

गौरतलब है कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से 2024 में जनहित याचिका दायर कर जबलपुर से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की गई है। इस मामले में एक विधि छात्र पार्थ श्रीवास्तव की ओर से याचिका दायर की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता आदित्य संघी और दिनेश उपाध्याय ने दलील दी कि जबलपुर में अन्य शहरों की तुलना में कम फ्लाइट हैं। जबलपुर हवाई अड्डा अन्य शहरों से अच्छी तरह से नहीं जुड़ पा रहा है और जबलपुर से केवल 9 उड़ानें संचालित हो रही हैं। वहीं तुलनात्मक रूप से जबलपुर से छोटे भोपाल एयरपोर्ट से प्रतिदिन 40 से अधिक उड़ानें हैं। हाल ही में भोपाल व इंदौर के लिए फ्लाइट भी बंद कर दी गई है। पूर्व में जबलपुर से मुम्बई, पुणे, कोलकाता, बेंगलुरू, रायपुर आदि शहरों के लिए फ्लाइट संचालित होती थी। मामले पर सुनवाई के दौरान विमान कंपनियों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने कहा कि इस मामले में अभी तक केन्द्र की ओर से कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। जिस तरह राज्य सरकार ने एयरपोर्ट पर कुछ रियायतें घोषित की हैं, उसी तरह केन्द्र को भी आगे आकर अपनी बात रखनी चाहिए। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से रिपोर्ट पेश कर बताया गया था कि प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों से नई घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने शुरू कराने के लिए विमानन निदेशालय ने निविदा जारी की है।

आर्मी में नौकरी लगवाने के नाम 9 .76 लाख और हड़पे

जेल में बंद चिटलर रिटायर्ड आर्मी मैन के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज

जबलपुर। जेल में बंद चिटलर रिटायर्ड आर्मी मैन के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आरोपित ने एमसीटीई मऊ में सेना में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 9 लाख 76 हजार रूपए और ऐंठे है। पीड़ित सामने आने के बाद रांझी पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक अशोक कुमार कुशवाहा अशोक कुमार कुशवाहा पिता स्व: राम दुलारे कुशवाह 46 वर्ष निवास लालमाटी सिद्धबाबा वार्ड घमापुर ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आर्मी ट्रेनिग कमाण्ड शिमला से वर्ष 2019 मे हवलदार के पद से सेवा निवृत्त सैनिक है। 14 नवबंर 2024 को अपनी बेटी को ईलाज करवाने के लिये आर्मी हास्पिटल जबलपुर गया था जहां पर उसकी मुलाकात राजेश राजभर से हुई थी जिसने बताया कि वह भी भूर्तपूर्व सैनिक है जो आर्मी हास्पिटल जबलपुर से रिटायर है वर्तमान में मढई में रहता है उसकी आर्मी के अधिकारियों से अच्छी जान पहचान है जिसके बाद राजेश राजभर से जानपहचान हो गई थी, 15 नवबंर को बताया कि मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग मऊ में टेलीकम्यूनिकेशन सिविल की 2 पोस्ट निकली है यदि कोई जानपहचान का हो तो बताना मैं उसकी नौकरी लगवा दूगा। विश्वास कर अपनी एवं रिश्तेदार प्रीति कुशवाह की नौकरी लगवाने के लिये राजेश राजभर को कहा। दोनों पोस्टो के लिये कुल 12 लाख रूपये की मांग की है। विश्वास करके राजेश राजभर के कहने पर उसने राजेश राजभर एवं ममता राजभर के बैंक खातो में कुल 10,26,000 रूपये राजेश राजभर को दिया। जिसके बाद राजेश राजभर द्वारा उसके एवं प्रीति कुशवाहा को हेड क्वार्टर सेन्ट्रल कमन्ड लखनऊ का टेली कम्यूनिकेशन मेकेनिक के पद पर सिलेक्ट होने का अंपाईटमेन्ट लैटर दिया गया । बोला कि 26 मई को मऊ जाना है फिर राजेश राजभर ने जाने के लिये मना कर दिया तब सन्देह हुआ और रूपए वापिस मांगे तो 50,000 रूपये वापिस किया। जिसके बाद जल्दी शेष 9,76,000 रूपये वापिस करने का आश्वासन दिया लेकिन राजेश कुमार राजभर द्वारा रूपये वापिस नही किये गये है।

अब तक चार एफआईआर, ये पीड़ित आ चुके सामने

आरोपी के खिलाफ रांझी पुलिस अब तक चार एफआईआर दर्ज कर चुकी है। आरोपित ने सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार चित्तरंजन घोष निवासी मुर्शीदाबाद पश्चिम बंगाल की बेटी की नौकरी लगवाने के नाम 4 लाख 65 हजार, एम. एच आर्मी हास्पिटल में नौकरी लगवाने का झांसा देकर पूजा गुप्ता से ऑनलाइन 5,80,000 रूपये, नगद 55,000 एवं आशीष कोल से 64,000 ऑनलाईन व 1,56,000 नगद एवं संगीता कोल से 3,00,000 रूपये ऑनलाईन नगद 75,000 रूपये लिए थे इसी प्रकार अन्य के साथ भी ठगी की है। आरोपितलंबे समय से जेल में है।

हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा घटाकर किया तीन साल

जबलपुर। पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा से दंडित किये जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल तथा जस्टिस ए के सिंह की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार पीडिता के साथ प्रवेशात्मक यौन हमला नहीं किया गया था। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि निचली अदालत ने साक्ष्यों का सही मूल्यांकन नहीं किया। तथ्यों और विषय से संबंधित कानून का मूल्यांकन किये बिना मनमाना आदेश पारित किया है। युगलपीठ ने आजीवन कारावास की सजा से तीन साल में तब्दील करने के आदेश जारी किये है।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57